



प्रेस नोट:- जनपद बिजनौर

दिनांक:- 02.08.2025

**“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में थाना किरतपुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा हत्या के आरोपी हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को आजीवन कारावास व कुल 11,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित ।**

### कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि दिनांक 25.01.2014 को वादी श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री ध्यान सिंह निवासी ग्राम अंगा खेडी थाना मंडावर जनपद बिजनौर ने थाना मंडावर पर तहरीर दी कि थाना किरतपुर क्षेत्र के ग्राम असगरपुर के रहने वाले भोपाल पुत्र रामपाल, सुरेन्द्र पुत्र नामालूम, अमित पुत्र सतेन्द्र, टीटू प्रधान पुत्र बाबूराम व मास्टर सूरज पुत्र रामशरण ने एक राय होकर वादी के साथ गन्ने के खेत में ले जाकर गाली गलौज करते हुये मारपीट करना तथा विरोध करने पर वादी के बेटी को गोली मार देना, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी । इस संबंध में थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 25/14 धारा 147/148/149/324/302/307 भादवि बनाम भोपाल उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त मनोज उर्फ नेवला उर्फ पप्पू पुत्र ध्यान सिंह निवासी ग्राम अंगाखेडी थाना मंडावर बिजनौर का नाम प्रकाश में आया । स्थानीय पुलिस द्वारा आरोपी मनोज उर्फ नेवला उर्फ पप्पू उपरोक्त को घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचे सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 31/2014 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 02.08.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे-एफटीसी-II, बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 25/14 धारा 302 भादवि के आरोपी अभियुक्त मनोज उर्फ नेवला उर्फ पप्पू पुत्र ध्यान सिंह निवासी ग्राम अंगाखेडी थाना मंडावर जनपद बिजनौर को आजीवन कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड व मु0अ0सं0 31/14 धारा 25 आर्म्स एक्ट में 01 वर्ष का कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त मनोज उर्फ नेवला थाना मंडावर का हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त है, जिसके विरुद्ध जनपद बिजनौर के विभिन्न थानो पर हत्या, लूट, चोरी, गैंगस्टर एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में करीब ढाई दर्जन अभियोग पंजीकृत है ।

नोट:- अवगत कराना है कि उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त मनोज उर्फ नेवला उर्फ पप्पू को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित किया गया है तथा शेष अभियुक्तगणों को दोषमुक्त किया गया है।

### दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:-

मनोज उर्फ नेवला उर्फ पप्पू पुत्र ध्यान सिंह निवासी ग्राम अंगाखेडी थाना मंडावर बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना चांदपुर

दिनांक 02.08.2025

**थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 424/25 धारा 299 बीएनएस में वांछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त मोबाइल सहित किया गिरफ्तार ।**

**संक्षिप्त विवरण:-**

दिनांक 01.08.2025 को वादी श्री राजवीर सिंह पुत्र खचेडू सिंह निवासी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त दीपक सैनी पुत्र बलवन्त सिंह निवासी ग्राम स्याऊ थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा आपत्तिजनक जनक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर मु0अ0स0 424/25 धारा 299 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



**कार्यवाही:-**

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त को दीपक सैनी पुत्र बलवन्त सिंह निवासी ग्राम स्याऊ थाना चांदपुर बिजनौर को घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल वीवो कम्पनी सहित गिरफ्तार किया गया है । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

दीपक सैनी पुत्र बलवन्त सिंह निवासी ग्राम स्याऊ थाना चांदपुर बिजनौर

**बरामदगी-**

एक मोबाइल वीवो कम्पनी ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-**

- 1.उ0नि0 श्री हरस्वरूप शर्मा थाना चांदपुर बिजनौर
- 2.है0का0 494 विपिन कुमार थाना चांदपुर बिजनौर
- 3.का0 668 राजकुमार थाना चांदपुर बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक – 02.08.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 657/2025 धारा 147/504/506 भा0द0वि0 व 3(1)(द) / 3(1)(ध) / 3(2)(5a) एस.सी./एस.टी. एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 01.08.2025 को वादिया श्रीमती सुलेन्द्रा पत्नी श्रीराम निवासी ग्राम सदपुरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.अजब सिंह पुत्र बनवारी सिंह निवासी ग्राम जमालपुर पठानी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 2.तालिब, 3.आबिद, 4.आदिल, 5.खालिद पुत्रगण ताहिर



निवासीगण मौ0 चाहशीरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा दिनांक 27.07.2022 को वादिनी के साथ गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए वादिया के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 657/2025 धारा 147/504/506 भा0द0वि0 व 3(1)(द)/3(1)(ध)/3(2)(5a) एस.सी./एस.टी. एक्ट पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही –

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित 02 अभियुक्तगण 1.तालिब 2.आबिद पुत्रगण ताहिर निवासी मौ0 चाहशीरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.तालिब पुत्र ताहिर निवासी मौ0 चाहशीरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.आबिद पुत्र ताहिर निवासी मौ0 चाहशीरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि 0श्री दीपक कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 2.कां0 1084 मोहित कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 3.कां0 2061 सन्दीप कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चाँदपुर

दिनांक – 02.08.2025

थाना चाँदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 425/25 धारा 115(2), 352, 351(2), 333 बी.एन.एस से सम्बंधित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 01.08.2025 को वादी श्री सतनाम पुत्र सन्तोष सिंह निवासी ग्राम जलीलपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चाँदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.रमजानी पुत्र नामालूम 2.सलाउदीन पुत्र रमजानी 3.रजाउदीन पुत्र रमजानी द्वारा वादी की दुकान में घुसकर वादी के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट की गयी व जान से मारने की धमकी दी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चाँदपुर पर मु0अ0सं0 425/25 धारा 115(2), 352, 351(2), 333 बीएनएस बनाम रमजानी आदि उपरोक्त कुल 03 नफर पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही –

आज दिनांक 02.08.2025 को थाना चाँदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.रमजानी पुत्र रफीक 2.रजाउदीन पुत्र रमजानी निवासीगण ग्राम कमालपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.रमजानी पुत्र रफीक निवासी ग्राम कमालपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.रजाउदीन पुत्र रमजानी निवासी ग्राम कमालपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री सुभाषचन्द्र थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.का0 2341 मौहम्मद सिराज थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ।
- 3.का0 1877 अंकित कुमार थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ।



## प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

**“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माह जुलाई – 2025 में मा0 न्यायालय द्वारा 60 अभियोगों में 83 अभियुक्तों को कारावास एवं अर्थदण्ड से किया दण्डित ।**

### कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के अन्तर्गत माननीय न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गयी तथा अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप **माह जुलाई – 2025** में जनपद बिजनौर के विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 60 अभियोगों में 83 अभियुक्तों को दण्डित किया गया, जिसमें से **06 अभियुक्तो को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया। विवरण निम्नवत है।

### **दिनांक 01.07.2025 से दिनांक 31.07.2025 तक दण्डित किये गये अभियुक्तों का विवरण –**

| क्र0<br>स0 | थाना    | मु0अ0स0  | धारा  | दि0 सजा    | अपराध<br>शीर्षक | सजा   | अभि0<br>सख्या |
|------------|---------|----------|---|------------|-----------------|---|---------------|
| 1          | बढापुर  | 108/2020 | 21/22 एनडीपीएस<br>एक्ट  | 01.07.2025 | जघन्य           | अभियुक्त को 02 वर्ष के कठोर<br>कारावास व 2000/- रुपये का<br>अर्थदण्ड।                       | 1             |
| 2          | शेरकोट  | 134/2023 | 2/3 गैंगस्टर एक्ट   | 01.07.2025 | जघन्य           | अभि0 को 02 वर्ष के साधारण<br>कारावास व 5000/- रुपये का<br>अर्थदण्ड।                         | 1             |
| 3          | को0 शहर | 851/1998 | 4/25 आर्म्स एक्ट  | 02.07.2025 | अन्य            | अभि0 को जेल में बिताई गयी<br>अवधि व 500 रुपये का अर्थदण्ड।                                  | 1             |
| 4          | रेहड    | 151/2018 | 323/34,504,506<br>भादवि व<br>3(1)द,3(1)ध<br>एस0सी0/एस0टी0<br>एक्ट | 03.07.2025 | जघन्य           | अभियुक्तगणों को 03-03 वर्ष के<br>सश्रम कारावास व प्रत्येक को<br>22,000/- रुपये का अर्थदण्ड। | 3             |
| 5          | शेरकोट  | 146/2011 | 4/25 आर्म्स एक्ट  | 04.07.2025 | अन्य            | अभियुक्त को जेल में बिताई गयी<br>अवधि व 1000/- रुपये का<br>अर्थदण्ड।                        | 1             |

|    |             |           |   |            |       |  |   |
|----|-------------|-----------|---|------------|-------|--|---|
| 6  | को0 शहर     | 379/2003  | 4/25 आर्म्स एक्ट                              | 04.07.2025 | अन्य  | अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 700/- रुपये का अर्थदण्ड ।                 | 1 |
| 7  | नजीबाबाद    | 1104/2009 | 25 आर्म्स एक्ट                                | 04.07.2025 | अन्य  | अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 500/- रुपये का अर्थदण्ड ।                 | 1 |
| 8  | कोतवाली शहर | 592/2003  | 4/25 आर्म्स एक्ट                              | 04.07.2025 | अन्य  | अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 200/- रुपये का अर्थदण्ड ।                 | 1 |
| 9  | शेरकोट      | 1324/2008 | 4/25 आर्म्स एक्ट                              | 04.07.2025 | अन्य  | अभियुक्त को मा0 न्या0 उठने तक की सजा व 1000/- रुपये का अर्थदण्ड ।              | 1 |
| 10 | नांगल       | 94/1993   | 498ए भादवि व 3/4 डीपी एक्ट                    | 05.07.2025 | जघन्य | प्रत्येक को 02 वर्ष कारावास की सजा व 1000 रु/ का अर्थदण्ड ।                    | 2 |
| 11 | नजीबाबाद    | 98/2017   | 420/272 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम             | 07.07.2025 | अन्य  | 06 माह साधारण कारावास व 1000/- रु0 का अर्थदण्ड ।                               | 1 |
| 12 | धामपुर      | 001/2023  | 3(1) गैंगस्टर एक्ट                            | 07.07.2025 | जघन्य | 02 वर्ष साधारण कारावास व 5000/- रु0 अर्थदण्ड ।                                 | 1 |
| 13 | किरतपुर     | 70/22     | 307/452/504/5 06 भादवि व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट | 10.07.2025 | जघन्य | प्रत्येक को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 30 हजार रु0 अर्थदण्ड                   | 2 |
| 14 | बढापुर      | 227/20    | 308/34/323/34/ 504/506(2) भादवि               | 10.07.2025 | जघन्य | प्रत्येक को 03 वर्ष कारावास का कारावास व प्रत्येक को 8000/-- रु0 का अर्थदण्ड । | 4 |
| 15 | किरतपुर     | 72/22     | 25(1-बी)(9) आयुद्ध अधि0                       | 10.07.2025 | अन्य  | 03 वर्ष का कारावास व 10,000/- रुपये का अर्थदण्ड ।                              | 1 |
| 16 | किरतपुर     | 73/22     | 25(1-बी)(9) आयुद्ध अधि0                       | 10.07.2025 | अन्य  | 03 वर्ष का कारावास व 10,000/- रुपये का अर्थदण्ड ।                              | 1 |
| 17 | को0शहर      | 492/1999  | 25 आर्म्स एक्ट                                | 10.07.2025 | अन्य  | जेल में बितायी अवधि व 2000/- रु0 का अर्थदण्ड ।                                 | 1 |

|    |          |           |  |            |                |  |   |
|----|----------|-----------|--|------------|----------------|--|---|
| 18 | को०शहर   | 1026/1993 | 279/427/337<br>भादवि                                   | 10.07.2025 | अन्य           | मा०न्या० उठने तक की सजा व<br>300/- रु० का अर्थदण्ड ।                   | 1 |
| 19 | नांगल    | 71/24     | 13 जी एक्ट   | 11.07.2025 | अन्य           | प्रत्येक को मा०न्या० उठने तक की<br>सजा व 50-50/-रु० का अर्थदण्ड।       | 2 |
| 20 | मण्डावली | 81/13     | 308/34,325/34,<br>323/34,504/50<br>6 भादवि             | 14.07.2025 | जघन्य          | 05 वर्ष कारावास 7,000/- रु० का<br>अर्थदण्ड ।                           | 1 |
| 21 | को०शहर   | 104/21    | 08/20 एनडीपीएस<br>एक्ट                                 | 14.07.2025 | जघन्य          | 05 वर्ष कारावास व 10,000/-<br>रु० का अर्थदण्ड ।                        | 1 |
| 22 | को०शहर   | 1824/2004 | 04/25 आर्म्स<br>एक्ट                                   | 14.07.2025 | अन्य           | जेल में बितायी अवधि व 500/-<br>रु० का अर्थदण्ड ।                       | 1 |
| 23 | मण्डावर  | 23/25     | 137(2),65(2)/62<br>,74 बीएनएस व<br>10 पोक्सो एक्ट      | 15.07.2025 | पॉक्सो<br>एक्ट | 10 वर्ष कारावास व 40,000/-<br>रु० का अर्थदण्ड ।                        | 1 |
| 24 | को०शहर   | 1059/2000 | 279/338 भादवि  | 15.07.2025 | अन्य           | मा०न्या० उठने तक की सजा व<br>700/-रु० का अर्थदण्ड ।                    | 1 |
| 25 | नहतौर    | 1077/2003 | 04/25 आर्म्स<br>एक्ट                                   | 16.07.2025 | अन्य           | जेल में बितायी अवधि व 500/-<br>रु० का अर्थदण्ड ।                       | 1 |
| 26 | नजीबाबाद | 600/22    | 363/376 भादवि<br>व 3/4 पोक्सो एक्ट                     | 17.07.2025 | पॉक्सो         | 10 वर्ष कारावास व 60,000/-<br>रु० का अर्थदण्ड ।                        | 1 |
| 27 | को०देहात | 154/17    | 420/467/468/4<br>71 भादवि व<br>3(1)थ एससी<br>एसटी एक्ट | 17.07.25   | जघन्य          | अभियुक्ता शिवाली को 03 वर्ष<br>कारावास व 20,000/- रु० का<br>अर्थदण्ड । | 1 |
| 28 | को०शहर   | 1664/2003 | 279/338 भादवि  | 17.07.2025 | अन्य           | मा०न्या० उठने तक की सजा व<br>1000/-रु० का अर्थदण्ड ।                   | 1 |
| 29 | को०शहर   | 1877/2002 | 04/25 आर्म्स<br>एक्ट                                   | 18.07.2025 | अन्य           | जेल में बितायी अवधि व 500/-<br>रु० का अर्थदण्ड ।                       | 1 |
| 30 | नजीबाबाद | 419/20    | 304 भादवि  | 18.07.2025 | जघन्य          | 10 वर्ष कारावास की सजा व<br>20,000/- रु० का अर्थदण्ड ।                 | 1 |

|    |                |           |  |            |                |  |   |
|----|----------------|-----------|--|------------|----------------|--|---|
| 31 | किरतपुर        | 247/18    | 363/376 भादवि<br>व 4 पोक्सो एक्ट                               | 18.07.2025 | पोक्सो<br>एक्ट | 10 वर्ष कारावास व 30,000/-<br>रु का अर्थदण्ड ।   | 1 |
| 32 | नगीना          | 226/22    | 376/511 भादवि<br>व 18 पोक्सो एक्ट<br>व 3(2)5 एससी<br>एसटी एक्ट | 19.07.2025 | पोक्सो<br>एक्ट | 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा<br>व 20,000/- रु का अर्थदण्ड ।   | 1 |
| 33 | नूरपुर         | 324/18    | 323/34/354/42<br>7/504/506<br>भादवि व 3(2)5क<br>एससी एसटी एक्ट | 21.07.2025 | जघन्य          | अभि०गणों को प्रत्येक को 02 वर्ष<br>कारावास व 10-10 हजार रु० का<br>अर्थदण्ड ।   | 2 |
| 34 | हीमपुर<br>दीपा | 132/1998  | 353/504 भादवि  | 19.07.2025 | अन्य           | जेल में बितायी अवधि व 500/-<br>रु का अर्थदण्ड ।  | 2 |
| 35 | रेहड           | 38/17     | 323/504 भादवि  | 19.07.2025 | अन्य           | 1.अभि० ओमप्रकाश, अतुल ,<br>अमन को प्रत्येक को जेल में<br>बितायी अवधि व प्रत्येक को<br>1500/-रु० का अर्थदण्ड ।<br>2.अभियुक्ता कुसुम देवी को<br>मा०न्या० उठने तक की सजा व<br>1500/-रु० का अर्थदण्ड । | 4 |
| 36 | किरतपुर        | 39/18     | 308/34/323/34/<br>504/34 भादवि                                 | 23.07.2025 | जघन्य          | प्रत्येक को 04 वर्ष कारावास व 10<br>हजार रु० का अर्थदण्ड ।   | 2 |
| 37 | को०शहर         | 1592/2004 | 25 आर्म्स एक्ट   | 24.07.2025 | अन्य           | जेल में बितायी अवधि व 500/-<br>रु का अर्थदण्ड ।  | 1 |
| 38 | शेरकोट         | 259/23    | 308/34/325/34/<br>323/34/506<br>भादवि                          | 24.07.2025 | जघन्य          | प्रत्येक को 04 वर्ष कारावास व<br>प्रत्येक को 9500/- रु० का<br>अर्थदण्ड ।   | 4 |
| 39 | बढापुर         | 61/2002   | 382/411/504<br>भादवि   | 25.07.2025 | जघन्य          | जेल में बितायी अवधि व 4000/-<br>रु० का अर्थदण्ड ।  | 1 |
| 40 | को०शहर         | 947/17    | 392 भादवि  | 25.07.2025 | जघन्य          | 02 वर्ष 05 माह कारावास व<br>1500/-रु० का अर्थदण्ड ।  | 1 |
| 41 | को०शहर         | 272/2003  | 25 आर्म्स एक्ट   | 25.07.2025 | अन्य           | जेल में बितायी अवधि व 500/-<br>रु० का अर्थदण्ड ।   | 1 |

|    |                |          |                                  |            |       |   |   |
|----|----------------|----------|----------------------------------|------------|-------|---|---|
| 42 | धामपुर         | 29/2000  | 323/324/504<br>भादवि             | 25.07.2025 | अन्य  | जेल में बितायी अवधि व 800/-<br>रु0 का अर्थदण्ड ।                              | 1 |
| 43 | अफजलगढ         | 10/14    | 04/25 आर्म्स<br>एक्ट             | 25.07.2025 | अन्य  | जेल में बितायी अवधि व 1000/-<br>रु0 का अर्थदण्ड ।                             | 1 |
| 44 | न0देहात        | 95/16    | 04/25 आर्म्स<br>एक्ट             | 25.07.2025 | अन्य  | जेल में बितायी अवधि व 2500/-<br>रु0 अर्थदण्ड ।                                | 1 |
| 45 | स्योहारा       | 167/1996 | 419/420/384/3<br>54/506(2) भादवि | 28.07.25   | जघन्य | प्रत्येक को जेल में बिताई अवधि व<br>प्रत्येक को 1200/- रु0 का<br>अर्थदण्ड ।   | 2 |
| 46 | शेरकोट         | 118/1998 | 379/411 भादवि                    | 28.07.25   | जघन्य | प्रत्येक को जेल में बिताई अवधि व<br>प्रत्येक को 1000/- रु0 का<br>अर्थदण्ड ।   | 2 |
| 47 | नगीना<br>देहात | 318/10   | 04/25 आर्म्स<br>एक्ट             | 29.07.2025 | अन्य  | 01 माह 15 दिवस कारावास व<br>1000/-रु0 अर्थदण्ड ।                              | 1 |
| 48 | धामपुर         | 78/2000  | 323/324/504<br>भादवि             | 29.07.2025 | अन्य  | अभि0 बब्ल को मा0न्या0 उठने<br>तक की सजा व 1000/-रु0 का<br>अर्थदण्ड ।          | 2 |
| 49 | नांगल          | 182/2022 | 294 भादवि                        | 29.07.2025 | जघन्य | मा0न्या0 उठने तक की सजा व<br>2000/- रु0 का अर्थदण्ड ।                         | 1 |
| 50 | को0शहर         | 784/1997 | 04/25 आर्म्स<br>एक्ट             | 30.07.2025 | अन्य  | जेल में बितायी अवधि व 1,000/-<br>रु0 का अर्थदण्ड ।                            | 1 |
| 51 | मण्डावली       | 35/2021  | 08/21 एनडीपीएस<br>एक्ट           | 30.07.2025 | जघन्य | 04 वर्ष कारावास व 10,000/-<br>रु0 का अर्थदण्ड ।                               | 1 |
| 52 | नूरपुर         | 342/2024 | 303(2)/317(2)<br>बीएनएस          | 24.07.2025 | जघन्य | जेल में बितायी अवधि व 500/-<br>रु0 का अर्थदण्ड ।                              | 1 |
| 53 | चांदपुर        | 653/2022 | 380/411 भादवि                    | 24.07.2025 | जघन्य | जेल में बितायी अवधि व 500/-<br>रु0 का अर्थदण्ड ।                              | 1 |
| 54 | चांदपुर        | 363/2024 | 303(2)/317(2)<br>बीएनएस          | 24.07.2025 | जघन्य | जेल में बितायी अवधि व 500/-<br>रु0 का अर्थदण्ड ।                              | 1 |
| 55 | स्योहारा       | 115/2018 | 302/34/307/34<br>भादवि           | 31.07.2025 | जघन्य | प्रत्येक को आजीवन कारावास व<br>प्रत्येक को 50,000/- हजार रु0<br>का अर्थदण्ड । | 4 |

|    |                |           |                      |            |      |  |   |
|----|----------------|-----------|----------------------|------------|------|--|---|
| 56 | शिवाला<br>कलां | 14/2016   | 04/25 आर्म्स<br>एक्ट | 10.07.2025 | अन्य | जेल में बितायी अवधि व 500/-<br>रु0 का अर्थदण्ड ।     | 1 |
| 57 | को0शहर         | 1382/2004 | 279/427 भादवि        | 31.07.2025 | अन्य | मा0न्या0 उठने तक की सजा व<br>2000/-रु0 का अर्थदण्ड । | 1 |
| 58 | स्योहारा       | 133/2018  | 25 आर्म्स एक्ट       | 31.07.2025 | अन्य | 03 वर्ष कारावास व 10,000/-<br>रु0 का अर्थदण्ड ।      | 1 |
| 59 | को0देहात       | 157/2002  | 25 आर्म्स एक्ट       | 31.07.2025 | अन्य | मा0न्या0 उठने तक की सजा व<br>1000/-रु0 का अर्थदण्ड । | 1 |
| 60 | को0देहात       | 434/2003  | 429/511 भादवि        | 31.07.2025 | अन्य | मा0न्या0 उठने तक की सजा व<br>1200/-रु0 का अर्थदण्ड । | 1 |





# BIJNOR POLICE



माह जुलाई- 2025

बिजनौर पुलिस द्वारा "ऑपरेशन स्माईल" अभियान के अन्तर्गत माह जुलाई में कुल- 76 गुमशुदा एवं अपहृताओं को बरामद किया गया:-

बिजनौर पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन स्माईल" के अन्तर्गत माह जुलाई में कुल-76 गुमशुदा एवं अपहृताओं को सकुशल बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी है। इस अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी थानों पर पुलिस टीमों का गठन कर बरामदगी हेतु लगाया गया था, जिनके द्वारा गुमशुदा एवं अपहृताओं/अपहृतों को सकुशल बरामद किया गया है।

| क्र० सं० | थाना        | मु०अ०सं० | धारा  |
|----------|-------------|----------|---|
| 1        | कोतवाली शहर | 546 / 25 | 87 बीएनएस   |
| 2        | कोतवाली शहर | 438 / 25 | 87 बीएनएस (04 बरामद)  |
| 3        | कोतवाली शहर | 546 / 25 | 87 बीएनएस   |
| 4        | कोतवाली शहर | 529 / 25 | 87 बीएनएस   |
| 5        | कोतवाली शहर | 590 / 25 | 87 , 351(2) बीएनएस  |
| 6        | कोतवाली शहर | 606 / 25 | 137(2) बीएनएस   |
| 7        | हल्दौर      | 178 / 25 | 137(2) बीएनएस वृद्धि धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पॉ० एक्ट   |
| 8        | हल्दौर      | 185 / 25 | 87 बीएनएस   |
| 9        | हल्दौर      | 178 / 25 | 137(2) बीएनएस वृद्धि धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पॉ० एक्ट   |
| 10       | मण्डावर     | 138 / 25 | 87, 61(2) बीएनएस  |
| 11       | मण्डावर     | 158 / 25 | 137(2), 352 बीएनएस  |
| 12       | मण्डावर     | 149 / 25 | 137(2), 352, 351(2) बीएनएस  |
| 13       | नजीबाबाद    | 230 / 25 | 87 बीएनएस   |
| 14       | नजीबाबाद    | 203 / 25 | 137(2) बीएनएस वृद्धि धारा 65(1) , 87 बीएनएस 3/4(2)  |
| 15       | नजीबाबाद    | 231 / 25 | 137(2) बीएनएस   |
| 16       | नजीबाबाद    | 236 / 25 | 137(2) बीएनएस वृद्धि धारा 65(1) , बीएनएस 3/4(2)   |
| 17       | नजीबाबाद    | 240 / 25 | 87 बीएनएस   |
| 18       | किरतपुर     | 138 / 25 | 137(1), 64, 351(2) बीएनएस व 67ए आई.टी. एक्ट व 3(2)5 एस.सी.एस.टी. एक्ट व 3 /4 पोक्सो एक्ट वृद्धि धारा 87, 78 बीएनएस व 11/12 पॉ०एक्ट लोप धारा 137(1) बीएनएस व 3/4 पॉ०एक्ट |
| 19       | किरतपुर     | 170 / 25 | 87 बीएनएस   |
| 20       | किरतपुर     | 171 / 25 | 87 बीएनएस   |

|    |               |          |   |
|----|---------------|----------|---|
| 21 | किरतपुर       | 175 / 25 | 137(2) बीएनएस   |
| 22 | किरतपुर       | 182 / 25 | 137(2), 352, 351(3) बीएनएस  |
| 23 | किरतपुर       | 188 / 25 | 137(2) बीएनएस   |
| 24 | किरतपुर       | 193 / 25 | 137(2) बीएनएस   |
| 25 | किरतपुर       | 200 / 25 | 137(2) बीएनएस   |
| 26 | किरतपुर       | 191 / 25 | 87 बीएनएस   |
| 27 | मण्डावली      | 73 / 25  | 87 बीएनएस   |
| 28 | मण्डावली      | 77 / 25  | 87 बीएनएस   |
| 29 | मण्डावली      | 89 / 25  | 87 बीएनएस   |
| 30 | मण्डावली      | 73 / 25  | 87 बीएनएस   |
| 31 | मण्डावली      | 77 / 25  | 87 बीएनएस   |
| 32 | चांदपुर       | 392 / 25 | 190, 191(2), 87, 115(2), 351(3), 110 बीएनएस                                   |
| 33 | चांदपुर       | 395 / 25 | 3(5), 137(2), 351(2) बीएनएस   |
| 34 | चांदपुर       | 410 / 25 | 137(2) बीएनएस   |
| 35 | नूरपुर        | 251 / 25 | 137(2), 65(1), 351(3) बीएनएस व 3(2)5 एस.सी.एस.टी. एक्ट व 3 / 4(2) पोक्सो एक्ट |
| 36 | नूरपुर        | 228 / 25 | 137(2) बीएनएस   |
| 37 | नूरपुर        | 233 / 25 | 137(2) बीएनएस   |
| 38 | नूरपुर        | 240 / 25 | 87 बीएनएस   |
| 39 | नूरपुर        | 249 / 25 | 87 बीएनएस   |
| 40 | शिवाला कला    | 100 / 25 | 87 बीएनएस   |
| 41 | शिवाला कला    | 115 / 25 | 137(2), 352, 351(2) बीएनएस  |
| 42 | शिवाला कलां   | 119 / 25 | 87, 352, 351(2) बीएनएस  |
| 43 | शिवाला कला    | 108 / 25 | 137(2) बीएनएस   |
| 44 | शिवाला कला    | 100 / 25 | 87 बीएनएस   |
| 45 | नगीना         | 117 / 25 | 137(2), 351(3) बीएनएस   |
| 46 | नगीना         | 135 / 25 | 137(2) बीएनएस   |
| 47 | नगीना         | 128 / 25 | 87 बीएनएस   |
| 48 | कोतवाली देहात | 142 / 25 | 87 बीएनएस   |
| 49 | कोतवाली देहात | 145 / 25 | 87 बीएनएस   |
| 50 | कोतवाली देहात | 150 / 25 | 137(2) बीएनएस   |
| 51 | कोतवाली देहात | 142 / 25 | 87 बीएनएस   |
| 52 | बढापुर        | 86 / 25  | 137(2) बीएनएस   |
| 53 | नगीना देहात   | 167 / 25 | 137(2) बीएनएस   |
| 54 | नगीना देहात   | 180 / 25 | 69, 87, 352, 351(2) बीएनएस  |
| 55 | धामपुर        | 230 / 25 | 87 बीएनएस   |
| 56 | धामपुर        | 268 / 25 | 87 बीएनएस   |
| 57 | धामपुर        | 270 / 25 | 137(2) बीएनएस   |
| 58 | धामपुर        | 230 / 25 | 87 बीएनएस   |
| 59 | धामपुर        | 273 / 25 | 137(2), 61(2) बीएनएस  |
| 60 | स्योहारा      | 247 / 25 | 87, 61(2) बीएनएस  |
| 61 | स्योहारा      | 241 / 25 | 87 बीएनएस   |
| 62 | स्योहारा      | 269 / 25 | 87 बीएनएस   |
| 63 | नहतौर         | 186 / 25 | 137(2) बीएनएस   |
| 64 | नहतौर         | 195 / 25 | 87, 352, 115(2), 351(3) बीएनएस  |
| 65 | नहतौर         | 169 / 25 | 87 बीएनएस   |
| 66 | नहतौर         | 177 / 25 | 191(2), 333, 351(3), 137(2) बीएनएस  |
| 67 | नहतौर         | 169 / 25 | 87 बीएनएस   |
| 68 | नहतौर         | 179 / 25 | 87 बीएनएस   |
| 69 | अफजलगढ        | 220 / 25 | 137(2) बीएनएस   |
| 70 | शेरकोट        | 115 / 25 | 87 बीएनएस   |
| 71 | शेरकोट        | 117 / 25 | 87 बीएनएस   |
| 72 | शेरकोट        | 121 / 25 | 137(2) बीएनएस   |
| 73 | शेरकोट        | 115 / 25 | 87 बीएनएस   |

